शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
826 Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan

भारतीय व्यवस्था में कानूनी प्रावधानों का महिला उत्थान पर प्रभाव

डॉ0 नरेन्द्र सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

email:narendramoral99@gmail.com

सारांश

लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार प्रत्येक व्यक्ति की समानता है, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील प्राणली होने के कारण अन्य की अपेक्षा अधिक क्रियाशील एवं विकासवादी है। वह अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सभी के हित में उचित निर्णय कर सकता है। इसीलिए एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था वह है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जहां स्त्री एवं पुरूष निर्णय निर्माण में समान रूप से योगदान देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की इसी भावना को ध्यान रखते हुए तथा स्वतंत्रता आन्दोलन से प्राप्त विरासत के अनुरूप ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं एवं पुरूषों को समान राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान किये गये तथा संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक प्रकार के लिंग–भेद को निषेध घोषित कर सभी को समान रूप से राष्ट्र की सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया। जिसके फलस्वरूप न केवल महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई, बल्कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने की प्रेरणा भी प्राप्त हुई है।

प्रस्तावना

आज देश की आधारभूत सरकारें (पंचायत एवं नगर प्रशासन) में राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है। जहां वह प्रत्येक स्तर पर नीति निर्माण में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण ये सहभागी के रूप में प्रदर्शित होने का प्रयास कर रही हैं, किन्तु दूसरे पक्ष में देखा जाये, तो आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्षों के पश्चात संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों के फलस्वरूप भी राष्ट्र एवं राज्य की सरकारों व नीति निर्माण में महिलाओं की वास्तविक सहभागिता, सक्रियता तथा जागरूकता का विश्लेषण करते है, तो स्थिति जस की तस देखने को मिलती है।

यह बात कुछ हद तक सही है कि 21वीं सदी में नारी राजनीतिक, सामाजिक रूप से सशक्त हुई तथा उसके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े है, परन्तु राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति में अमूलचूल परिवर्तन के पश्चात् भी महिलाओं की स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि आज भी महिलाएं अपने अनुपात के हिसाब से उन्नति नहीं कर पा रही है। प्रायः यह देखा गया है कि लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के कारण महिलाओं का उत्थान एक सकारात्मक दृष्टिकोण का

परिचय कराता है, परन्तु उपरोक्त तथ्यों से इतना तो साफ हो जाता है कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से उनमें आत्मविश्वास, जागरूकता व अस्तित्वबोध जाग्रत हुआ है और उनमें निर्णय लेने की क्षमता का कुछ हद तक विकास हुआ है। आज पंचायती राज संस्थाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं के नेतृत्व से पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी का आभास होता है। इससे स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सामंतवादी, पूर्वाग्रह तथा मनमानी सोच में कमी होगी। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत भी है कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का स्थानीय स्तर की सत्ता में भागीदारी व बेहतर प्रदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस व्यवस्था में अपनी कामयाबी से उत्साहित महिलाओं के हौसलों को रोक पाना अब आसान नहीं होगा। अतः भारत की महिला समग्र रूप से सशक्त हो इसके लिये उसका सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त होना आवश्यक है, जिसमें शिक्षा एवं सतत् जागरूकता के साथ–साथ पुरूष प्रधान की संकीर्ण मानसिकता में भी परिवर्तन होना अनिवार्य हैं। साथ ही महिला को अपनी क्षमता की पहचान करनी होगी और उन्हें यह बात अपने जहन में मजबूती से बैठानी होगी कि उन्हें 'अक्षमता' के भ्रम को तोड़कर ऐसे समाज की स्थापना करनी होगी, जो उनके विकास की प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिये महिला आन्दोलन को जारी रखने व सकारात्मक दिशा में सशक्त से सशक्त जनमानस तैयार करना होगा।

यह बात सर्वविदित है कि 'मातृदेवो भवः' के अनुपम उद्घोष से अनुप्रणित हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सदा से ही गौरवपूर्ण स्थान रहा है। भारत में नारी को देवी का दर्जा तो दिया गया मगर उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार कम ही किया गया। घर की चारदीवारी में उसे गृहणी और गृह लक्ष्मी के सम्बोधनों से सम्बोधित तो किया गया, परन्तु घर में दहेज में लक्ष्मी न लाने पर जिन्दा जलाने के अत्यन्त अमानुषिक कार्य करने में कोई संकोच नहीं किया। नारी ने अपनी कोख से सम्पूर्ण सृष्टि का सृजन किया और उसी नारी की कोख को बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न एवं वेश्यावृत्ति के दर्दनाक हादसों के द्वारा कलंकित करने का प्रयत्न किया गया। यह दुर्भाग्य की बात है कि महिला सशक्तीकरण एवं उत्थान के इस युग में महिलाओं के प्रति अनेक तरह के उत्पीडन, हिंसा व समस्याएँ दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पंचायतों में महिलाओं के बढ़ते नेतृत्व ने यह बात सिद्ध कर दी कि भारतीय राजनीति एक नये सूत्रपात की ओर अग्रसर हो चली है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के वर्षों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जहां विश्व के अन्य देशों में महिलाओं को कई वर्षों के कठिन संघर्ष के पश्चात नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हुई, वहीं उदाहरणार्थ ब्रिटेन और फ्रांस में महिलाओं को नागरिक के रूप में सम्पूर्ण अधिकार क्रमशः 1928 और 1945 में प्रदान किये गये, जबकि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान लागू होने के साथ ही सभी अधिकार प्रदान कर दिये गये। निःसंदेह ही महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की दिशा में यह एक प्रगतिशील कदम रहा, जिसे संविधान निर्माताओं विभिन्न प्रावधानों द्वारा महिलाओं के प्रति लिंग आधारित भेदभाव का

निषेध कर समान रूप से प्रदान करने का प्रयास रहा है, जो इस प्रकार है–

(क) संविधान की प्रस्तावना के अन्तर्गत समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान करने का मूल आदर्श अपनाया गया है। जहां राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि– राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मनमाना विभेद नहीं किया जायेगा, जिसके लिए राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति व शिक्षा और लिंग पर ध्यान दिये बिना राजनीतिक व्यवस्था में समान भागीदारी का अवसर दिया जायेगा।

(ख) मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 15 व 16 के अन्तर्गत लिंग आधारित विभेदों का निषेध करते हुए महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं।

(ग) नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण हेतु अनुच्छेद 39 में समान कार्य हेतु समान वेतन व सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 42, 46 व 47 के अन्तर्गत क्रमशः काम की मानवोचित दशाओं एवं प्रसूति सहायता, शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि तथा नागरिकों के पोषण व जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रावधान किया गया है।

(घ) 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन, 1993 के अन्तर्गत पंचायत एव नगर प्रशासन में अनुच्छेद 243 (घ), 243 (न) के अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन के अन्तर्गत महिलाओं (अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

(ड.) राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 326 में सार्वजनिक मताधिकार का उपबन्ध करते हुए अनुच्छेद 325 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर सभी विभेदों का निषेध किया गया है।

यदि उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों की व्यावहारिक स्थिति देखी जाये, तो पहली लोकसभा से लेकर आज 17वीं लोकसभा तक कई महिला प्रत्याशियों ने चुनावों में भाग लिया तथा विजयी होकर अपने क्षेत्र एवं देश को नेतृत्व प्रदान किया। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्होंने कई वर्षों तक सफल शासन संचालन किया तथा देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री), सरोजनी नायडू जय ललिता, ममत बेनर्जी, मायावती, आनन्दीबेन पटेल, वसुन्धरा राजे सिंधिया आदि सफल महिलाएं इसी श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार मिले अधिकारों के कारण ही देश के सभी भागों से महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तथा आज कई राज्यों में मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के रूप में सफलतापूर्वक कार्य संचालन कर रही है। इसी प्रकार मीरा कुमार (लोकसभा में प्रथम महिला स्पीकर), सुषमा स्वराज, वृन्दा करात, स्मृति ईरानी, निर्मला सीताराम, सोनिया गांधी, नजमा हेपतुल्ला आदि कई महिला राजनेता हैं, जो राजनीति के सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

73वें व 74वें संविधान संशोधन भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इस प्रावधान ने न केवल शहरों वरन् ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास किया। इस प्रावधान द्वारा प्रदान की गयी

आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं को जागरूक होने की प्रेरणा प्रदान कर महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों को समझने तथा सरकार निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार पंचायती राज में महिला सशक्तीकरण की भूमिका को देखते हुए राजस्थान, बिहार एवं केरल सहित कुछ अन्य राज्यों ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। राजस्थान में जनवरी–फरवरी, 2010 में हुए पंचायती राज चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण को क्रियान्वित किया गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 326 द्वारा प्रदत्त सार्वभौम मताधिकार ने महिलाओं को (विशेषकर पिछड़े वर्गों की) सहभागिता हेतु जागरूक किया। अतः उपरोक्त प्रावधानों द्वारा राजनीति सशक्तीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्राप्त हुई परन्तु राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति तथा सशक्तीकरण तब तक अधूरा है, जब तक सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण ना हो जाये। इसीलिए संविधान में नीति–निदेषक तत्वों के रूप में समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिससे महिलाओं में पूर्ण सशक्तीकरण एवं उत्थान की प्रबलता का सकारात्मक विकास हो सके।

सामाजिक प्रावधानों में गैर सरकारी संगठनों व सरकारी संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम चलाये गये जिनमें 'महिला समस्या' व 'महिला विकास' जैसे सशक्त कार्यक्रम भी सम्मिलित है। 'महिला' समस्या कार्यक्रमों को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा के माध्यम से चलाया गया, लेकिन बाद में यह महज बालिकाओं के स्कूलों में मात्रात्मक स्वरूप ही बन कर रह गया।

राजनैतिक प्रावधान के तहत महिला सशक्तिकरण के उपाय संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किये गये हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के राजनैतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित किया गया है।

आज पुरूष प्रधान भारतीय समाज महिला सशक्तिकरण को अपने अधिकारों की कटौती के रूप में देख रहा है, जिसके चलते ही केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा समय–समय पर महिलाओं के मात्र कोरे व निरर्थक अधिकार व कुछ सुविधाएँ रूपी खिलौने देकर बहलाये रखने में ही जोर दिया गया है। संविधान में संशोधन करके नये अधिकार तो शामिल कर दिये जाते हैं, किन्तु उनके क्रियान्वयन के नाम पर तत्परता नहीं दिखाई जाती है, जिसके चलते महिला उत्थान व सशक्तिकरण की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।

समाचार पत्र पत्रिकाओं, टी0वी0 चैनल्स सर्वेक्षणों व शोध ग्रन्थों से यह तथ्य उभरकर सामने आते हैं कि जैसे–जैसे महिलाओं की सुरक्षार्थ कानून बनाए जा रहे हैं वैसे–वैसे महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के ये नवीनतम् आंकड़े हकीकत बयान कर रहे है कि प्रति 24 मिनट में एक महिला यौन शोषण, प्रति 43 मिनट में अपहरण, प्रति 54 मिनट में बलात्कार का शिकार हो रही है। भारत में 102 मिनट के अन्तराल में एक औरत दहेज उत्पीडन की भेंट चढ़ जाती है। इस प्रकार विभिन्न कानून व नियम होते हुए भी महिलाओं का समान कार्य करने पर समान वेतन और सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं और न ही उन्हें परिवार में समान अवसर व प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें उत्तराधिकारी व सम्पत्ति में भी

समानता प्राप्त नहीं होने के कारण सामाजिक भेदभाव की स्थिति से सामना करना पड़ रहा है, जबकि किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की नारी की स्थिति पर ही निर्भर करता है यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मानजनक है, तो समाज सुदृढ़ एवं मजबूत होगा। महिला सशक्तिकरण भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष लाकर उनके प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों का पुनर्बलन किया जाता है, ताकि वे अपनी परम्परागत दब्बू प्रकृति के आवरण से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बन सके। यह प्रयास उनकी योग्यता का चतुर्दिक सषक्तिकरण करता है ताकि उनकी अभिरूचि एवं राजनीति पृष्ठभूमि स्पष्ट हो सके और संसाधनों का समुचित उपयोग करके परिवार एवं समुदाय में सहयोगी सम्बन्धों का पूरा लाभ उठाया जा सके।

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य आज भी चुनौती पूर्ण स्थिति में है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सरकारें महिलाओं के उत्थान हेतु जहाँ एक ओर किशोरी शक्ति योजना 2000–01, स्वयं सिद्ध योजना 2001–02, स्वाधार योजना 2001–02, महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना 2001–02, जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना 2002–03, कस्तूरबा गाँधी विशेष बालिका विद्यालय योजना 2003–04, वन्देमातरम् योजना 2003–04, जननी सुरक्षा योजना 2003–04, आंगनबाड़ी विशेष बीमा योजना 2004–05, विशेष आवासीय विद्यालय योजना 2005–06, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2005–06, इकलौती कन्या छात्रवृत्ति योजना 2006–07, सुकन्या योजना–2015, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ–2015, तीन तलाक–2019 जैसी विभिन्न नई योजनायें संचालित कर रही है। वहीं महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के अभिनव प्रयासों के तहत अधिनियमों को क्रियान्वित कर रही है या प्रयासरत है, जो निम्न है–

क्र०सं०	पास एवं प्रस्तावित विधेयक	विवरण
1.	भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम, 2001	भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 में मुकदमों के दौरान आर्थिक सहायता निर्वाह, नाबालिकों की शिक्षा से सम्बन्धित व्यापक संशोधन किए गए।
2.	विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 2001	भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 36 व 41 में गुजारा के जरिए आवश्यक संशोधन किये गये।
3.	अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2001	पत्नी के भरण–पोषण पाने के अधिकार के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित 500 रू0 प्रतिमाह की सीमा को घटाने के लिए यह संशोधन किया गया।
4.	भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2002	पारसियों की विधवाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति तथा ईसाइयों की महिलाओं को अन्य धर्मावलम्बियों के समान पुरूष व उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया।
5.	हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम, 2003	वैवाहिक जीवन में उत्पन्न समस्याओं के कारण विवाह विच्छेद, परित्याग बच्चे की सुपुर्दगी जैसे विवादों में उनकी विवाहिता को अपने निवास क्षेत्र में मुकदमा 90 दिन तक दर्ज कराने का प्रावधान कर दिया गया।
6.	दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005	वर्ष 1994 से विचाराधीन इस विधेयक का उद्देश्य सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के बाद किसी भी मामले में पुलिस द्वारा महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की व्यवस्था है।
7.	हिन्दू उत्तराधिकारी (संशोधन) अधिनियम, 2005	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों को बराबर का हिस्सा सभी राज्यों में दिलाने हेतु संशोधन विधेयक अगस्त 2005 में पारित हुआ।
8.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	महिलाओं पर हो रहे हिंसात्मक आचरण पर कठोरता से रोक लगाने तथा पीड़ित महिलाओं को संरक्षण दिलाने हेतु अधिनियम सितम्बर, 2005 में पास हुआ।
9.	बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक, 2001 (प्रस्तावित)	बालिकाओं के लिए विशेष रूप से शिक्षा को अनिवार्य बनाते हुए उनके कल्याण एवं विकास हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ निर्धारित किए जाने के लिए विचाराधीन विधेयक।
10.	कारखाना अधिनियम, (1948) में संशोधन, 2005	मार्च 2005 में केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब महिलाओं द्वारा कारखानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि में ड्यूटी के प्रतिबन्ध को हटाने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है।
11.	विवाह पंजीयन अनिवार्य विधेयक, 2005	प्रत्येक विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाकर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विधेयक तैयार किया गया है।
12.	अनैतिक व्यापार (निरोधक) संशोधन विधेयक, 2006	अनैतिक व्यापार से महिलाओं को शोषण से बचाने हेतु कानून को कड़ा बनाने हेतु संशोधन विचाराधीन है।
13.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2007	कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कानून पास कराए जाने सम्बन्धी बिल संसद के विचाराधीन है।

इस प्रकार 21वीं सदी के इन वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रयासों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है तथा अन्य क्षेत्रों में जहाँ सर्वांगीण विकास हेतु महिला उत्थान नीति 2001 का निर्धारण किया जा रहा है। वहीं महिला शक्ति पुरस्कारों की व्यवस्था, राजनैतिक सशक्तिकरण हेतु प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक, लिंग आधारित बजट की व्यवस्था, आदि प्रयास भी जारी है, जिनके कतिपय सार्थक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, परन्तु वास्तविक महिला सशक्तिकरण के लिए अभी और भी संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है।

अतः महिला सशक्तिकरण की यात्रा जिस महत्वपूर्ण बिन्दु से प्रारम्भ होती है वह सामाजिक सशक्तिकरण के अभाव में सशक्तिकरण की तमाम वैधानिक व संवैधानिक प्रयास भी निरर्थक हो जाते हैं। जहां तक भारतीय सशक्तिकरण का सवाल है, हमारे यहां महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण दो कारको से प्रभावित रहा है– प्रथम–भारतीय समाज व्यवस्था में शक्ति संचरण व दूसरा–प्रजा तांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में निहित विरोधाभास। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व यह विरोधाभास है कि हमारी सत्ता भारतीयों के हाथों में आ जायेगी, तो यह विरोधाभास स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। परन्तु यह सोचना एक भूल ही साबित हुआ और आजादी के बाद भी यह विरोधाभास ओर भी अधिक गहरा हो गया। सच्चाई यह थी कि आजादी प्राप्त होने के पश्चात् भी भारतीय समाज में शक्ति एवं सत्ता स्त्रियों की तुलना में पुरूषों के ही हाथों में बनी रही और दूसरी तरफ प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत नवीन संविधान द्वारा लिंग भेद रहित समानता की स्थापना सुनिश्चित हो गयी। इस प्रकार सैद्धान्तिक रूप से लिंग भेद आधारित असमानता समाप्त हुयी, परन्तु व्यवहारतः ऐसा नहीं हो सका। स्वाधीन भारत का 72 वर्षों का वैधानिक व सामाजिक विधायन का लम्बा इतिहास इस बात का गवाह है कि महिलाओं के पक्ष में बड़ी संख्या में कानून बना देने से ही देश की आधी आबादी को सशक्त नहीं बनाया जा सकता। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (The Hindu Marriage Act), हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 (The Hindu sucecssion Act), हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिकार अधिनियम, 1956 (The Adopion and Maintenance Act), एवं घरेजू हिंसा निषेध अधिनियम 2005 आदि के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार सम्भव नहीं हो सका। 1931 में लैंगिक समानता के लिये उद्घोषित प्रतिबद्धता को स्वाधीन भारत के संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 325, 326 व अनुच्छेद 44 के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। निश्चित रूप से यह महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ज्यादातर महिलाएं निरक्षर हैं। ग्रामीण महिलाओं में अषिक्षा के कारण परिवार नियोजन पद्धति अज्ञानता है। साक्षरता का निम्न स्तर अस्वास्थ्यकारक परिस्थितियां को निर्मित करता है। ग्रामीण महिलाओं को कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इन उपेक्षित और अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित कर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा, जिससे भूस्वामी और ठेकेदारों के शोषण से बचाया जा सके। उन्हें उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जाये, जिसके लिए महिलाओं और पुरुषों के लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. व्होरा आशारानी, *भारतीय नारी दशा दिशा,* नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1983।
2. विद्या के0सी0, *स्थानीय स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण,* कनष्कि पब्लिशर्स नई दिल्ली, 1997।

3. अंसारी एम0ए0, *राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी,* ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000।
4. काही निश्तर खान, अग्रवाल गिरिराज शरण, *नारी कल और आज,* हिन्दी साहित्य निकेतन, उ0प्र0, 2000।
5. श्रीवास्तव सुधारानी एवं श्रीवास्तव रागिनी, *मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न,* कॉमनवैल्थ, दिल्ली, 2001।
6. पुरूथी राजकुमार, देवी रामेश्वरी तथा पुरूथी रोमिला, *कानून तथा राजनीति में महिलाएँ* मंगल दीप पब्लिकेशन, जयपुर, 2001।
7. गोपालन सरला, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, *भारत में महिलाओं की स्थिति,* राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली, 2001।
8. कौशिक आशा, *''नारी सशक्तीकरण : विमर्श एवं यथार्थ''*, पोइन्टर्स पब्लिशर्स, जयपुर, 2003।
9. गोयल एस0एल0 एवं रजनीश शालिनी, *भारत में पंचायतीराज,* दीप एण्ड दीप पब्लिकेषन प्राइवेट लिमेटिड, नई दिल्ली, 2003।
10. वर्मा भावना एवं दीक्षित ध्रुव कुमार, *घरेलू हिंसा : समस्या एवं समाधान,* अमर प्रकाश सागर, मध्य प्रदेश, 2010।
11. तायल पी0सी0 एवं कुमार रोहित, *पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की दशा एवं दिशा,* नवराज प्रकाशन, दिल्ली, 2011।
12. तिलक रजनी और अनुरागी रजनी, *'समकालीन भारतीय दलित महिला लेखन',* श्रृंखला स्वराज पुस्तक दिल्ली, 2011।
13. श्रीवास्तव मनोज, *पंचायतराज के जरिये राजनैतिक रूप से सशक्त हुई महिलाएं,* कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, 2011।
14. सिंह मीनाक्षी, *"महिला कानून"*, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दरियागंज नई दिल्ली, 2013।
15. अली सुभाषिनी, *'तीन तलाक को त्यागने का समय*', दैनिक जागरण, मेरठ, 5 अगस्त, 2015।
16. शुक्ला पश्यंती, *भारत में महिलाओं की सामाजिक*–आर्थिक स्थिति, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, जनवरी, 2016।